

# Order Sheet (Subsequent)

सहायक सहायक (फास्ट ट्रेक), जोधपुर

2024/232  
CNR NUMBER

Number of Case

A/336/Year 2024

के.वी. व. अ. अ. अ.

Versus श्री राज व अ. अ.

UIS-212

R.T.A. 1955

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER 2024/233

Court of [Redacted] (फास्ट ट्रेक) जोधपुर at

Kind of the Case U/S - 212 R.T.A. 1955

Number of Case A/396 / Year 2024

देवी व अन्य Versus श्री राध क अन्य

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
------	--	---------------------------------------

व कुलाम पर भवन कर सजात विधिद  
 प्रावधानों का अद्ययन किया गया।  
 उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्राचीन  
 का प्राचीन एवं अन्तर्गत धारा 212  
 राजस्थान कारतकारी अधिनियम, 1955  
 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता  
 है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध  
 अग्रणी/अग्रणी सं। सं 3 इन आदेश  
 की जाती की जाती है कि प्राचीन  
 एवं अग्रणी गमाँ चड़ाव पटवार  
 दरका करवड भू. अफिलेय निरीहाड मडोर  
 के खसरा सं 268/3 के विभिन्न  
 भू-भाजा का रदन, बेचान व हस्तांतरण  
 न तो स्वयं करे व न किसी ओर  
 के करावे के लक्ष्य में पाकंड किया  
 जाता है (नाफिलला भूल वाड) पत्रावली  
 फिलाल सुमार होकर नकर के फल होडा  
 शामिल दफतर हो। विरुद्ध निधि प्रपड  
 के लिखवाया जाकर शामिल फतावली  
 किया गया। फतावली फिलाल सुमार होकर  
 शामिल दफतर हो



सहायक कलक्टर  
 (फास्ट ट्रेक) जोधपुर